

भाग—IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को सवीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। *Recommended for Approval.*

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए।)

दिनांक:— 17.3.2017

समय:—

2
 वाई.एस.के. शर्मा
 मुख्य (वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
 वन (संरक्षण) अधिनियम-1980
 नाम प्र. और मु. नाम
 सरकारी मोहर